**ए.11018/09/2021-एम.एच.II**

**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**एनसीडी-I**

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 11 मार्च, 2024.

**सार्वजनिक नोटिस**

DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या AB-14017/61/2008-Estt (RR) दिनांक 13.10.2015 के अनुपालन में, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान (AIIPMR), मुंबई में आशुलिपिक श्रेणी-I के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। इसके साथ संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव देने में रुचि रखने वाले हितधारक, मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन से 30 दिनों की अवधि के भीतर, अवर सचिव (एनसीडी-I), कमरा नंबर-753, ए-विंग, को लिखित रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110108 या ईमेल: anurag.tiwari86@gov.in पर भेज सकते हैं।

अनुराग तिवारी
11/3/2024

(अनुराग तिवारी)
अवर-सचिव, भारत सरकार
दूरभाष क्रमांक: 011-23061510

[भारतकेराजपत्र,भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारतसरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

नईदिल्ली, तारीख: 11/02/2024

**अधिसूचना**

सा.का.नि...-राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आशुलिपिक श्रेणी-II, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, भर्ती नियम, 2001 को,जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-II के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में आशुलिपिक श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई, आशुलिपिक श्रेणी-I(समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुराग तिवारी

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| आशुलिपिक श्रेणी-I | 01*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर-6 | चयन |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिकऔर अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| (6) | (7) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता। | दो वर्ष। | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। |

अनुराग त्रिपाठी

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **प्रोन्नति:**<br>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 में आशुलिपिक श्रेणी-II, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है ।<br>**टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br>**प्रतिनियुक्ति:**<br>केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले ऐसे अधिकारी :<br>(क)(i)जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हैं; या<br>(ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो।<br>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को '56 वर्ष से अधिक नहीं' होगी। | विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-<br>1. अपरनिदेशक<br>-अध्यक्ष;<br>2. उप निदेशक<br>(पुनर्वास)<br>-सदस्य;<br>3.प्रोफेसर(भौतिकचिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान)<br>-सदस्य;<br>4.संबंधित विभागाध्यक्ष<br>-सदस्य। | लागू नहीं होता |

[ए.11018/09/2021-एमएच.II]

अनुराग तिवारी

(अनुराग तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार